प्रेस नोट दिनांक 28.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

विद्यालय चोरी का सफल अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गया सामान व ई-रिक्शा बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सईद अहमद को गिरफ्तार किया गया, साथ ही अभियुक्त के कब्जे से कब्जे से 01 बोरी गेहूँ व 01 बोरी चावल की कुल 02 बोरी व घटना में प्रयुक्त वाहन ई-रिक्सा बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 27.03.2026 की पूर्व रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा सविलियन विद्यालय का ताला तोड़कर मिड-डे मील (MDM) से संबंधित सामान, गेहूं, चावल, गैस सिलेंडर, चूल्हा (भट्ठी), भगोने, कुकर, खाने के थाली-गिलास, अभिलेख, पुस्तकें तथा खेलकूद सामग्री चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 200/2026 धारा 331 (4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोरों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 राहुल कुमार चौकी प्रभारी मकन्द्रगंज मय हमराह का हेमन्त कुमार व का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 200/2026 धारा 331 (4)/305 बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ से संबंधित वांछित अभियुक्त सईद अहमद पुत्र अब्दुल सत्तार नि० सदर बजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे अंडरपास रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 बोरी गेहूँ व 01 बोरी चावल की कुल 02 बोरी व घटना में प्रयुक्त वाहन ई-रिक्सा बरामद किया गया। इस संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि कल रात्रि में संविलयन विद्यालय सदर बाजार अजीत नगर में हुई चोरी का गेहूं व चावल है जूट वाली बोरी चावल में करीब आधा बोरी व प्लास्टिक के बोरी में गेहूं है करीब आधा बोरी जिसको मैं बेचने जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया तथा स्कूल में हुई चोरी से सामान सिलेंडर, बर्तन, किताबें, खेल के सामान आदि के बारे में पूछने पर बता रहा है कि मैंने वह सामान चोरी किया था। नशे में मैं कही बेचा दिया हूं कहाँ बेचा हूं मुझे कोई जानकारी नहीं है और जो पैसा मिला था उसका मैं स्मैक पी गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सईद अहमद पुत्र अब्दुल सत्तार नि० सदर बजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी-
चोरी का 01 बोरी गेहूँ व 01 बोरी चावल की कुल 02 बोरी व घटना में प्रयुक्त वाहन ई-रिक्सा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल कुमार चौकी प्रभारी मकन्द्रगंज मय हमराह का0 हेमन्त कुमार व का0 मनोज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना अंतू पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 176 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 379 रू0 के साथ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्ता को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत प्रतापगढ बाईपास के पास पूरे माधव सिंह से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में थाना अंतू के उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश राय, का0 जितेन्द्र कुमार, का0 लाखन सिंह, म0 आरक्षी दीपिका त्रिपाठी, म0आरक्षी प्रीति सिसौदिया द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत प्रतापगढ बाईपास के पास पूरे माधव सिंह से 01 अभियुक्ता आरती पत्नी चन्द्रभान सिंह निवासिनी ग्राम करेंदी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को कुल 01 किलो 176 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 379 रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना अंतू में मु0अ0सं0 64/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01- आरती पत्नी चन्द्रभान सिंह निवासिनी ग्राम करेंदी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 01 किलो 176 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 379 रू0 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0स0-292/18 धारा 323/504/506/326 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0स0- 462/22 धारा 08/20 NDPS ACt थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 64/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश राय, का0 जितेन्द्र कुमार, का0 लाखन सिंह, म0 आरक्षी दीपिका त्रिपाठी, म0आरक्षी प्रीति सिसौदिया थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना पट्टी पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत दुकरा नहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम हर्रईपट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ अपनी किराना गुमटी पर बैठा था, तभी दो मोटरसाइकिलों से आए 5 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई अमित के बारे में पूछताछ कर दुकान का सामान फेंककर नुकसान किया तथा ₹10,000 की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। प्रार्थी के अनुसार उक्त घटना ध्रुव तिवारी निवासी सौराई थाना आसपुर देवसरा द्वारा अपने साथियों के साथ पूर्व विवाद के चलते कराई गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/190324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित यादव मय हमराह उ0नि0 श्री शुभम सिंह, का0 हरिकेश पाल, का0 विपिन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/190324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्त हर्षित सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम दुकरा थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत दुकरा नहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 105/2026 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त से बरामद 01 अदद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. हर्षित सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम दुकरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी-
04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रोहित यादव मय हमराह उ0नि0 श्री शुभम सिंह, का0 हरिकेश पाल, का0 विपिन यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

चाकू से हमला करने वाला वांछित 01 अभियुक्त राकेश सरोज गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंदित 01 अभियुक्त राकेश सरोज को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत दुर्गन धाम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।
दिनांक 27.03.2026 को रात्रि 09:00 में ग्राम अगई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ निवासी वादी के पुत्र को पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही राकेश सरोज एवं एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के पश्चात आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इसं संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 109(1)/352/351 (3) बीएनएस बनाम 01 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन लाल व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 अमर सिंह कुशवाहा, का0 श्रीचन्द, का0 सुमित शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 109 (1)/352/351 (3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त राकेश सरोज पुत्र शिवनाथ सरोज निवासी अगई खास थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत दुर्गन धाम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
अभियुक्त राकेश सरोज पुत्र शिवनाथ सरोज निवासी अगई खास थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 अमर सिंह कुशवाहा, का0 श्रीचन्द, का0 सुमित शर्मा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।